कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड बांसवाडा

क्रमांकः– /2021–22/1073 दिनांक :– 18-02-2022

निमित्त,
श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बांसवाडा।

विषय:- Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department, Udaipur for widening/strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage Km. 250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) Section of NH-927A in the state of Rajasthan.

प्रसंग:- वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1293–97 दिनांक 24.01.2020 एवं 785 दिनांक 30.11.2021 के क्रम में।

संदर्भ:– आपके कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफसीए/उवसं 2021/7355 दिनांक 01.09.2021 की पालना में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा 4.99 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

S.No.	Condition as per the MOEF	Compliance Report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	**शर्त संख्या–1 की पालना के अन्तर्गत** वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने के आशय से यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर शर्त की पालना हेतु सहमत एवं वचनबद्ध है। वनभूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही रहेगा हमारे द्वारा इसकी वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	**शर्त संख्या–2 की पालना के अन्तर्गत** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ.2()राज./2019/1009 दिनांक 16.09.2019 (प्रति संलग्न है) से ग्राम पाटन, तहसील बागीदौरा के खसरा संख्या 832, 832/3003 में 4.99 हैक्टर गैर वनभूमि (Non Forest Land) के वन विभाग के नाम आवंटन कराने के आदेश जारी करवाकर नामांतरण क्रमांक 783 दिनांक 17.09.2019 के द्वारा वन विभाग के नाम नामांतरण करवा दिया गया है (जमाबंदी की प्रति संलग्न है) तथा उक्त गैर वनभूमि दिनांक 17.09.2019 को वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित भी कर दी गई है (चार्ज–रिपोर्ट की प्रति संलग्न है)
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.99 ha. non forest land (a). (Compartment no./Khasra No. Nil, Village-Patan, Tehsil-Bagidora, District-Banswara at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of loacal indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (b) Non-Forest land has to be transferred & mutated in favour of State Forest Department.	**शर्त संख्या–3 की पालना के अन्तर्गत** गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के द्वारा करवाया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक धनराशि रू. 8,18,900 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है तथा उक्तानुसार गैर वनभूमि वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित कर दी गई है।
4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme for plantation 1000 plants./ha. as per FCA guidlines and the	**शर्त संख्या–4 की पालना के अन्तर्गत** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के स्तर से करवाया जाना अपेक्षित है।

	cost fo survey, demarcation and erection of permanenet pillars if reuired on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include approriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.99 ha. forest area to be diverted under proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidlines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/ 2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	**शर्त संख्या–5 की पालना के अन्तर्गत** 4.99 हैक्टेयर गैर वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि रू. 31,23,740 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है।
6	Additional amout of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Commitee, shall be charged by the State Government from th User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	**शर्त संख्या–6 की पालना के अन्तर्गत** एन.पी.वी. की दरों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने पर यदि दरों में कोई वृद्धि होती है तो तदनुसार देय अंतर राशि वन विभाग को मांग अनुसार जमा करवाए जाने हेतु यह कार्यालय पूर्णतया सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
7	User Agency shall restrict the feelling of tress to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	**शर्त संख्या–7 की पालना के अन्तर्गत** मौके का दोबारा सर्वे कराए जाने पर पातन हेतु पूर्व में सूचीबद्ध किए गए 262 वृक्षों के स्थान पर वास्ता में 139 वृक्षों के ही पातन की आवश्यकता होने से सूची वन विभाग को प्रस्तुत कर तदनुसार न्यूनतम आवश्यक केवल 139 वृक्षों का ही पातन करवाया गया है।
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPAfund only through e-portal (http://@parivesh.nic./)	**शर्त संख्या–8 की पालना के अन्तर्गत** सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू. 8,18,900 एवं वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय धनराशि रू. 31,23,740 कुल धनराशि रू. 39,42,640 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करवाई गई है तथा वृक्षों के मूल्य हेतु देय धनराशि रू. 11,15,852 उपवन संरक्षक, बांसवाडा के निर्धारित खाता संख्या 689901701496 में जरिये UTR No. P19091814163522 दिनांक 18.09.2019 जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि हेतु वांछित दस्तावेज इस पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be eusured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	**शर्त संख्या–9 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि परियोजना निर्माण के अन्तर्गत सडक चौडीकरण का कार्य वनभूमि में पूर्व से निर्मित मुख्य सडक मार्ग पर ही किया गया है। यह सडक मार्ग आवागमन का एक मुख्य मार्ग होने के कारण इसके दोनों ओर के किनारों की तरफ प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई न्युनतम वनभूमि में कोई भी कब्जा नहीं होने से प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य में किसी भी दावेदार द्वारा कोई भी

		आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं निर्माण कार्य निर्विवाद रूप से संपादित हुआ है। फिर भी प्रचलित नियमों/आदेशों की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र (FRA) श्रीमान् जिला कलक्टर, बांसवाडा के पत्र क्रमांक F2 ( ) राजस्व/2021/2275 दिनांक 23.12.2021 को जारी किया जा चुका है, जो संलग्न है।
10	User Agency shall be raise strip plantation on both sides and central varge of the road as per the IRC norms.	**शर्त संख्या–10 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि उक्त परियोजना Two-lane with paved shoulder की होने से नियमानुसार सडक मार्ग पर के मध्य का भाग (Median) नहीं छोडा गया है, जिसके कारण central verge में वृक्षारोपण की कोई गुंजाइश (Scope) नहीं है। इसके अलावा सडक मार्ग के दोनों ओर यथा स्थान ROW की उपलब्धता के अनुसार IRC Norms के अन्तर्गत Stip Plantation का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण करवा दिया गया है।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	**शर्त संख्या–11 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
12	The layout plan of the proposal shall no be changed without prior approval of central Government.	**शर्त संख्या–12 की पालना के अन्तर्गत** परियोजना के निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही करवाया गया है। परियोजना के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	**शर्त संख्या–13 की पालना के अन्तर्गत** परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक कैंप स्थापित नहीं किया गया है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasin the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	**शर्त संख्या–14 की पालना के अन्तर्गत** उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान नियोजित श्रमिकों एवं स्टाफ हेतु संवेदक के स्तर पर गैर वनभूमि में अस्थाई डिपो स्थापित किया जा कर वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था विधिक स्त्रोतों से ही की गई है। ईंधन हेतु वनभूमि से कोई गिरी पडी सूखी लकडी उपयोग में नहीं ली गई है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	**शर्त संख्या–15 की पालना के अन्तर्गत** परियोजना के निर्माण का कार्य प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित निर्देशांकों (Cordinates) के अनुसार धरातल पर निशानदेही करवाने के उपरान्त हीं संपादित करवाया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	**शर्त संख्या–16 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि परियोजना के निर्माण का कार्य आवागमन हेतु पूर्व से उपयोग में लिए जा रहे सडक मार्ग के अंतर्गत ही करवाया जाना प्रस्तावित था जिसके कारण उक्त कार्य के संपादन हेतु किसी भी अन्य अतिरिक्त मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होने से स्वाभाविक रूप से उक्त शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।

17	The period of diversion under this approval shall be he co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	**शर्त संख्या–17 की पालना के अन्तर्गत** के आशय से यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर शर्त की पालना हेतु सहमत एवं वचनबद्ध है।
18	The forest land shall not be he used for any purpose oter than the specified in that project proposal.	**शर्त संख्या–18 की पालना के अन्तर्गत** प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मुख्य रूप से सडक निर्माण कार्य के अलावा ग्राम सुन्दनपुर के एक बडे पुल (Major Bridge) तथा ग्राम कुपडा के चौराहे पर एक व्हीकल अंडर पास (VUP) के निर्माण के अतिरिक्त अन्य और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाया गया है जो कि प्रस्ताव में वर्णित किए गए कार्य से भिन्न हो। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	**शर्त संख्या–19 की पालना के अन्तर्गत** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	**शर्त संख्या–20 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	**शर्त संख्या–21 की पालना के अन्तर्गत** की पालना हेतु यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध है।
22	No violation certificate from concerened DFO shall be provided.	**शर्त संख्या–22 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
23	Compliance of clause 11.2 of FCA guidlines shall be ensured and in no case, forest land shall be used for non-forestry purpose till final approval is granted.	**शर्त संख्या–23 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि परियोजना के निर्माण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.14( ) 2018/बांसवाडा रोडस/ एफसीए/प्रमुवंस/3775 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा प्रदान की गई सशर्त कार्यानुमति के अनुसरण में ही सम्पादित करवाया गया है।
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic./).	**शर्त संख्या–24 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि निर्देशानुसार वांछित पालना प्रतिवेदन e-portal पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से वांछित वनभूमि की विधिवत स्वीकृति यथा–शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विरेन्द्र कुमार शाह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बांसवाडा
Email :-eepwdnhbanswara@gmail.com

क्रमांक:– /2021–22/1074-76
दिनांक:–18.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं क्षैत्रीय अधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. चौहराया अजमेर रोड, जयपुर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग वृत, उदयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बांसवाडा

Annexure-I

FORM -I

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, BANSWARA (RAJASTHAN)

No. F२ ( ) २/भूअ/२०२१/ 2275 Dated : २३/१२/२०२१

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd. August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's latter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.99 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer PWD NH Division Banswara (Name of user agency) for Diversion of 4.99 Hect. of protected Forest Land** for the **project of Widening/ Strengthening/ upgradation to two lane with paved shoulder from existing chainage km 250.600 to 275.000 (Wajwana to banswara) saction 927 A Block Banswara and Garhi** in **Banswara** District falls with in jurisdiction of Village **mungthali Total** Khasra No. 5 area 2.2536 **and wajwana Total** Khasra No. 5 area 2.7364 total area 4.99 Hectares.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **4.99** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and District Level Committee are enclosed as annexure **A to C**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

(Ankit Kumar singh)
District Collector
Banswara (Rajasthan)

1053 - Rev-2021 Work (Rajkumar)

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 23–12–2021 को दोपहर 03.00 बजें जिला कलक्टर सभाकक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए ::–

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।

बैठक में निम्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड़ स्तरीय समिति बांसवाडा एवं गढी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुशंषा सहित निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :–

तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रयोजन
गढी	वजवाना	2796, 2844, 3001, 3247/3632, 3002,	2.7364	राष्ट्रीय राजमार्ग 927 "ए" के विस्तारीकरण, चौडाईकरण एवं शुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत जिला बांसवाडा के वजवाना से बांसवाडा के बीच प्रभावित हो रही 4.99 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।
बांसवाडा	मूंगथली	270/2, 350, 288, 350, 352	2.2536	
कुल योग		कुल खसरा किता –10	4.99 हैक्टेयर	

अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड़ स्तरीय समिति बांसवाडा एवं गढी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार रकबा 4.99 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

आंशिक नक्शा ट्रेस
मौजा - पारन
प० म० - पारन

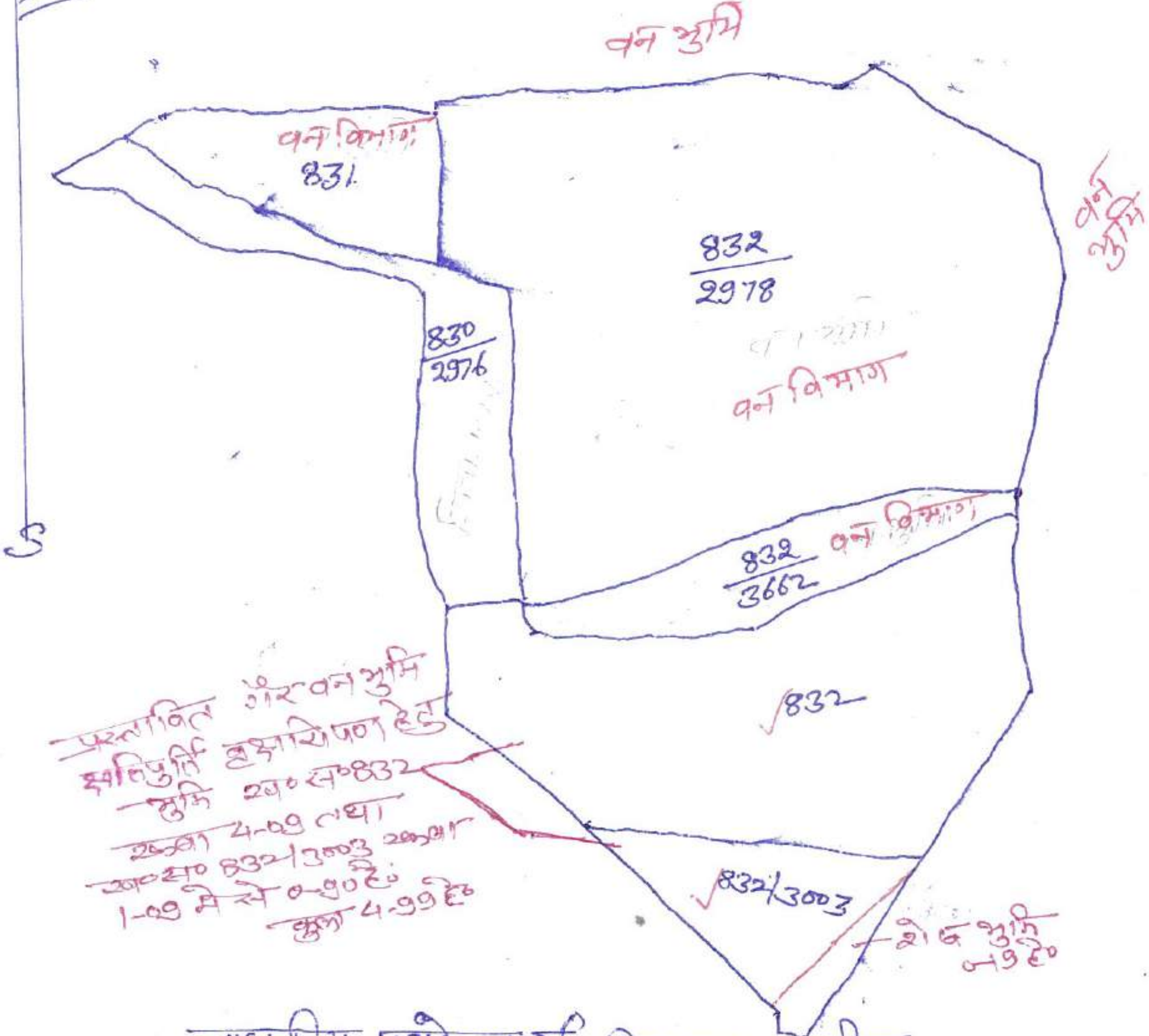

राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क जारी
P-35 क्रमांक 43 पर दर्ज
13-6-2019 सत्यप्रतिलिपि
C.S
14-6-19

तहसीलदार
तहसील-बागीदौरा (बांसवाड़ा)

पटवारी
पटवार मण्डल पारन
तहसील-बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)
bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :– एफ 4 ( ) राज./2019/ 1009

दिनांक :– 16 सितम्बर 2019

–: आदेश :–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 410 दिनांक 17.06.2019 द्वारा तहसीलदार तहसील बागीदौरा से प्राप्त प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा की अनुशंषा अनुसार तहसील बागीदौरा के ग्राम पाटन पटवार मण्डल पाटन की आराजी नम्बर 832, 832/3003 रकबा क्रमशः 4.09, 1.09 हैक्टेयर में से क्रमश 4.09, 0.90 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत ग्राम वजवाना से बांसवाड़ा के सेक्शन में प्रभावित हो रही 4.99 हैक्टेयर वन भूमि के बदले वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाडा के पत्रांक 539 दिनांक 04.09.2019 द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 द्वारा वन भूमि पर कार्य करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

अत : तहसील बागीदौरा के ग्राम पाटन पटवार मण्डल पाटन की आराजी नम्बर 832, 832/3003 रकबा क्रमशः 4.09, 1.09 हैक्टेयर में से क्रमश 4.09, 0.90 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति एत्द द्वारा प्रदान की जाती है।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. विभाग, बांसवाड़ा ।
3. उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा।
5. तहसीलदार, तहसील बागीदौरा को भेज कर लेख है कि उक्त अनुसार अमल दरामद करावें।
6. पटवारी पटवारी हल्का पाटन द्वारा तहसीलदार बागीदौरा
7. सरपंच ग्राम पंचायत पाटन तहसील बागीदौरा।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

Rev order Letter 2018-19 Work.doc 298

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड बांसवाड़ा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील बागीदौरा जिला–बांसवाडा

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 895 दिनांक:-17.09.2019

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
(राजस्व) बांसवाडा(राज.)

विषय:– वन विभाग के नाम अमल दरामद करने बाबत |
प्रसंग:– श्रीमान के आदेश क्रमांक :- एफ 4( )राज./2019/1009 दिनांक16.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रसंगान्तर्गत आदेश के क्रम में निवेदन है कि ग्राम पाटन के आराजी नंबर 832 रक़बा 4.09 एवं 832/3003 रकबा 1.09 में से 0.90 कूल किता 2 रकबा 4.99 हेक्टेयर भूमि को जरिये नामा. सं. ...783...... दिनांक 17.09.2019 द्वारा वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया है | नामा. प्रति संलग्न है अत: पालनारिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है |

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसीलदार
बागीदौरा (भू-अभिलेख)
बागीदौरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड बांसवाड़ा

Annex - III

Rastogi & Company, Jaipur-2

प्रपत्र सं. पी. 26 (ए)
(देखिये नियम 15)

केवल नकल उपयोग के लिए

ग्राम पारन पटवार क्षेत्र पारन भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान सम्वत् 2074 से 2077 तक

भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृत्ति का स्वरुप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई का स्त्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांङ्क	सम्वत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांङ्क	सम्वत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांङ्क	सम्वत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियाँ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
राज० सरकार	बिलानाम - काबिल काश्त	832 832/3003	4-09 1-09	बंजड़ बंजड़ बंजड़ बंजड़	4-09 4-09 1-09 1-09									

नामा० सं० 781/17-9-19 से ख०सं० 832 रकबा 4-09 तथा ख०सं० 832/3003 रकबा 1-09 में से 3772/832 रकबा 0-90 हे० कुल किता 02 रकबा 4-99 हे० भूमि वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य हेतु वन विभाग को आरक्षित की गई।

नामा सं० 783/17-9-19 आवंटन से ख०सं० 832 रकबा 4-09 हे० तथा ख०सं० 3772/832 रकबा 0-90 कुल किता 02 रकबा 4-99 हे० वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य हेतु वन विभाग को आवंटन की गयी।

राजकीय प्रयोजनार्थ नि: शुल्क जारी
P-35 क्रमांक 195/17-9-19 पर दर्ज

सत्यप्रतिलिपि
[signature]
पटवारी पारन
पटवार मण्डल [illegible]
तहसील-बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा

[signature]
अधिशाषी अ...
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड बांसवाड़ा

C. S. [signature]
उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गढ़ी

क्रमांक / क्षे.व.अ. / 2019 / 429 दिनांकः– 18/09/19

निमित्त,
श्रीमान उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा।

विषय :–खसरा संख्या 832, 832 / 3003 में 4.99 हेक्टेयर आरक्षित गैर वनभूमि का चार्ज लेने बाबत। (Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department ,Udaipur for widening/strengthening/upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage km.250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) section of NH-927A in the state of rajasthan.)

संदर्भ :–आपका पत्र क्रमांक 5896–98 दिनांक 17.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान के उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 4 ( )राज. / 2019 / 1009 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा ग्राम पाटन तहसील बागीदौरा के खसरा नंबर 832 एवं 832 / 3003 में आरक्षित की गई 4.99 हेक्टेयर गैर वनभूमि का तहसील बागीदौरा द्वारा वन विभाग के नाम नामांतरण करने के पश्चात राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में दिनांक 17.09.2019 को विधिवत रूप से चार्ज प्राप्त कर लिया गया है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार चार्ज रिपोर्ट।

भवदीय,
(प्रवीण अहारी)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
गढ़ी।

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

Annex II

गैर वन भूमि हस्तांतरण रिपोर्ट

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 2 ( )राज./2019/410 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा ग्राम पाटन, तहसील बागीदौरा के खसरा संख्या 832, 832/3003 में 4.99 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई थी। इस संबंध में जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 4 ( )राज./2019/1009 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा उक्त आरक्षित की गई गैर वन भूमि (Non Forest land) को वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित करवाने हेतु जारी किये गये आदेश की पालना में हल्का पटवारी पटवार मंडल पाटन, तहसील बागीदौरा श्री कुंजीलाल कटारा द्वारा उक्त गैर वन भूमि का चार्ज आज दिनांक 17 सितंबर 2019 को श्री जसवंत रावल, वनपाल, वन नाका तलवाड़ा, रेंज गढ़ी को विधिवत रूप से संभलवा दिया गया है जिसके जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः–

S.No.	Longitude	Latitude
1	74°17'50.12"	23°30'50.20"
2	74°17'50.80"	23°30'50.20"
3	74°17'51.08"	23°30'50.20"
4	74°17'54.75"	23°30'50.20"
5	74°17'59.98"	23°30'50.20"
6	74°18'1.99"	23°30'50.20"
7	74°18'0.39"	23°30'50.20"
8	74°17'59.40"	23°30'50.20"
9	74°17'58.52"	23°30'50.20"
10	74°17'56.48"	23°30'50.20"
11	74°17'53.65"	23°30'50.20"
12	74°17'50.48"	23°30'50.20"

उपरोक्तानुसार वन विभाग को हस्तांतरित की गई गैर वन भूमि पर आज दिनांक 17 सितंबर 2019 तक कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा उक्त भूमि किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।

(कुंजीलाल कटारा)
पटवारी पटवार मंडल पाटन
चार्ज देने वाला
पटवारी पटवार मंडल, पाटन
तहसील-बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा

(जसवंत रावल)
वनपाल, वन नाका तलवाड़ा
चार्ज लेने वाला

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड बांसवाड़ा

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गढ़ी (परतापुर)

(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ाम का नाम :- पाटन
टवार हल्का :- पाटन
ू.अभि.नि. :- छीछ
ाहसील :- बागीडोरा
जिला :- बाँसवाड़ा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 514
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य हेतु आवंटन हिस्सा- पूर्ण वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3772/832	0.9000	बंजड़	0.9000	0.00		स्वीकृत नामांतरकरण : 783 17/09/2019 आवंटन	
832	4.0900	बंजड़	4.0900	0.00			
कुल खसरे - 2	4.9900		4.9900				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 17-Sep-2019

NIC

असल से मिलान किया गया

P-35 क्रमांक 196 / 18-9-19 पटवारी

सत्यप्रतिलिपि
पटवारी
पटवार मण्डल पाटन
बागीडोरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड बाँसवाड़ा

उप वन संरक्षक
बाँसवाड़ा (राज.)